

22-4-19

वकील सुनी उपाय आ-पत्र इ प्रकाश
द्वि रजिस्ट्र है। तहसीलवा आगे के
आदेश जारी है कि न्यायालय के
निवेदन एवं डिडी दिनांक 10-4-19
की परलन की डिडी लक्ष्य न्यायालय
का हस्तगत न हो ले की जाकर परलन
दिनांक 20-5-19 से पूर्व किया जाय।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

आदेश दिनांक 20-5-19 को पत्रावली ... आमरे मु. जयपुर
श. मु. ... आदेश/अ. ...
राजकाय ... पत्रावली
दिनांक 11-6-19 को पत्रावली

आदेश दिनांक 11-6-19 को पत्रावली
श. मु. ... आदेश/अ. ...
राजकाय ... पत्रावली
दिनांक 20-8-19 को पत्रावली

19-3-19

आज्ञा यह पत्रावली अधिवक्ता सुनी के
आ-पत्र प्रकाश करके पर लक्ष्य की गयी
अधिवक्ता सुनी ने आ-पत्र प्रकाश कर
निवेदन किया है कि तहसीलवा आगे
आदेश न्यायालय के निवेदन दिनांक 10-4-19
की परलन की जा चुकी है। तब आ-पत्र
इसका निस्तारण किया जाये। अतः
तहसीलवा आगे न्यायालय के निवेदन
की परलन किए जाने के फलस्वरूप
इस पत्रावली में आज कोई कार्यवही
निर्दिष्ट नहीं है। अतः कार्रवाई समाप्त है।

Handwritten signature and official stamp.